सहारा

कानपुर • शनिवार • 18 नवम्बर • 2023

राली जलाने के बजाय खाद बनाएं, बढ़ेगी उर्वराशक्ति

ुर (एसएनबी)। पराली जलाने से वढ़ने की समस्या से निपटने के लिये कृपि क इसे जलाने के स्थान पर खाद वना कर ं मिलाने की सलाह दे रहे हैं। इनका कहना राली की खाद वनायी जाये तो इससे मिट्टी रिा शक्ति वढ़ायी जा सकती है।

द्रशेखर आजाद कृपि एवं क विश्वविद्यालय के मृदा क डॉ.खलील खान ने ों को सलाह देते हुए कहा इ अपने खेतों में धान के यों अर्थात पराली आदि को विलकुल न । उन्होंने कहा कि पराली जलाने से उनके ना और पत्तियां आदि के पोपक तत्व नप्ट हो । साथ ही फसल अवशेप जलाने से मृदा के ा में वृद्धि हो जाती है। जिसके कारण मृदा तिक, रासायनिक और जैविक दशा पर ा असर पड़ता है। मृदा में उपस्थित सूक्ष्म ; नप्ट हो जाते हैं, जिसके कारण मृदा में त जीवांश अच्छी तरह सड़ नहीं पाते और चलते पौधे पोपक तत्व प्राप्त नहीं कर पाते रेणामस्वरूप फसल उत्पादन में गिरावट है। यही नहीं पराली जलाने से वातावरण प्रदूपित होने के साथ साथ पशुओं के चारे की व्यवस्था करने में भी परेशानी होती है। फसल अवशेपों में आग लगाने से अन्य फसलों व घरों में भी आग लगने की संभावना वनी रहती है। श्री खान ने कहा कि किसान फसल अवशेपों का उचित प्रवंधन कर कंपोस्ट या वर्मी कंपोस्ट खाद वना कर प्रयोग करें। इससे खेत की उर्वरा शक्ति वढ़ने के साथ भूमि में लाभदायक जीवाणुओं की संख्या में वृद्धि होगी और मृदा के भौतिक व रासायनिक संरचना में सुधार होगा, जिससे भूमि जलधारण क्षमता व वायु संचार में वृद्धि होती है। फसल अवशेपों के प्रवंध करने से खरपतवार कम होते हैं और जल वाप्प उत्सर्जन भी कम हो जाता है और सिंचाई जल की उपयोगिता वढ़ जाती है। उन्होंने कहा कि फसल अवशेप को जलाने से होने वाली हानियों को दृप्टिगत रखते हुए ही राप्ट्रीय हरित प्राधिकरण ने पराली को जलाने को दंडनीय अपराध घोपित कर दिया है। उन्होंने किसानों को फसल अवशेप प्रवंधन के लिए मल्चर, सुपर सीडर, पैडी स्ट्रॉ आदि का प्रयोग कर फसल अवशेप प्रवंधन कर सकते हैं।

सीएसए कृषि विवि के वैज्ञानिक ने दी किसानों को सलाह

पराली न जलाएं बल्कि उसकी खाद बना मिट्टी की उर्वरा शक्ति बढ़ाएं

कानपुर, 17 नवम्बर। चंद्रशेखर आजाद कृषि एवं प्रौद्योगिकी विश्वविद्यालय के अधीन संचालित कृषि विज्ञान केंद्र दलीप नगर के मृदा वैज्ञानिक डॉ खलील खान ने जनपद के समस्त किसान भाइयों से अपील की है कि वे अपने खेतों में धान की फसल के अवशेषों (पराली) आदि को न जलाएं क्योंकि फसलों के अवशेषों को जलाने में उनके जड़, तना, पत्तियां आदि के पोषक तत्व नष्ट हो जाते हैं। मृदा वैज्ञानिक डा.खान ने यह भी बताया कि फसल अवशेषों को जलाने से मृदा के तापमान में वृद्धि हो जाती है। जिसके कारण मृदा के भौतिक, रासायनिक एवं जैविक दशा पर विपरीत असर पड़ता है। मृदा में उपस्थित सूचम जीवाणु नष्ट हो जाते हैं जिसके कारण मृदा में उपस्थित जीवांश अच्छी प्रकार से सड़ नहीं पाते जिससे पौधे पोषक तत्व प्राप्त नहीं कर पाते हैं। परिणाम स्वरूप फसल उत्पादन में गिरावट आती है। इसके अतिरिक्त वातावरण के साथ-साथ पशुओं के चारे के लिए भी व्यवस्था करने हेतु समस्या आती है। उन्होंने कहा कि फसल अवशेषों में आग लगाने से अन्य फसलों तथा घरों में भी आग लगने की संभावना बनी रहती है। वायु प्रदूषण से अस्थमा और एलर्जी जैसी कई प्रकार की घातक बीमारियों को बढ़ावा मिलता है एवं दुर्घटनाएं होने की संभावनाएं बनी रहती हैं। उन्होंने बताया कि किसान भाई फसल अवशेषों का उचित प्रबंधन कर कंपोस्ट या वर्मी कंपोस्ट खाद बनाकर प्रयोग करें। इससे खेत की उर्वरा शक्ति के साथ ही भूमि में लाभदायक जीवाणु की संख्या में भी वृद्धि होगी तथा मृदा के भौतिक एवं रासायनिक संरचना में सुधार होगा जिससे भूमि जल धारण क्षमता एवं वायु संचार में वृद्धि होती है। फसल अवशेषों के प्रबंध करने से खरपतवार कम होते हैं तथा जल वाष्प उत्सर्जन भी कम होता है। जिससे सिंचाई जल की उपयोगिता बढ़ती है। उन्होंने कहा कि फसल अवशेष को जलाने से होने वाली हानियों को दृष्टिगत रखते हुए राष्ट्रीय हरित प्राधिकरण द्वारा फसल अवशेष जलाना दंडनीय अपराध है। उन्होंने कहा कि फसल अवशेषों का उचित प्रबंधन करते हुए लाभ प्राप्त कर किसान लाभान्वित हों। भूमि की उर्वरा शक्ति को बढ़ाते हुए वातावरण को स्वच्छ बनाएं जिससे कि किसान भाई अधिक से अधिक फ़सल उत्पादन प्राप्त करते हुए अपनी आय में वृद्धि कर सकें। उन्होंने फसल अवशेष प्रबंधन हेतु आधुनिक प्रमुख कृषि यंत्र जैसे मल्चर, सुपर सीडर, पैडी स्ट्रॉ आदि का प्रयोग कर फसल अवशेषों का प्रबंध करें।

■ वायु प्रदूषण से बढ़ती हैं अस्थमा व एलर्जी जैसी बीमारियां

दीनार टाइम्स

कानपुर न्यूज

पराली न जलाएं उसकी खाद बना मिट्टी की उर्वरा शक्ति बढ़ाएं

डीटीएनएन

कानपुर। चंद्रशेखर आजाद कृषि एवं प्रौद्योगिकी विश्वविद्यालय कानपुर के अधीन संचालित कृषि विज्ञान केंद्र दलीप नगर के मृदा वैज्ञानिक डॉक्टर खलील खान ने जनपद के समस्त किसान भाइयों से अपील की है कि वे अपने खेतों में धान की फसल के अवशेषों (पराली) आदि को न जलाएं क्योंकि फसलों के अवशेषों को जलाने में उनके जड़, तना,पत्तियां आदि के पोषक तत्व नष्ट हो जाते हैं। मृदा वैज्ञानिक डा.खान ने यह भी बताया कि फसल अवशेषों को जलाने से मृदा के तापमान में वृद्धि हो जाती है। जिसके कारण मृदा के भौतिक, रासायनिक एवं जैविक दशा पर विपरीत असर पड़ता है।मृदा में उपस्थित सूचम जीवाणु नष्ट हो जाते हैं जिसके कारण मृदा में उपस्थित जीवांश अच्छी प्रकार से सड़ नहीं पाते जिससे पौधे पोषक तत्व प्राप्त नहीं कर पाते हैं।परिणाम स्वरूप फसल उत्पादन में गिरावट आती है इसके अतिरिक्त वातावरण के साथ-साथ पशुओं के चारे के लिए भी व्यवस्था करने हेतु समस्या आती है उन्होंने कहा कि फसल अवशेषों में आग लगाने से अन्य फसलों तथा घरों में भी आग लगने की संभावना बनी रहती है वायु प्रदूषण से अस्थमा और एलर्जी जैसी कई प्रकार की घातक बीमारियों को बढ़ावा मिलता है एवं दुर्घटनाएं होने की संभावनाएं बनी रहती हैं उन्होंने यह भी बताया कि किसान भाई फसल अवशेषों का उचित प्रबंधन कर कंपोस्ट या वर्मी कंपोस्ट खाद बनाकर प्रयोग करें। इससे खेत की उर्वरा शक्ति के साथ ही भूमि में लाभदायक जीवाणु की संख्या में भी वृद्धि होगी तथा मृदा के भौतिक एवं रासायनिक संरचना में सुधार होगा जिससे भूमि जल धारण क्षमता एवं वायु संचार में वृद्धि होती है।फसल अवशेषों के प्रबंध करने से खरपतवार कम होते हैं तथा जल वाष्प उत्सर्जन भी कम होता है। जिससे सिंचाई जल की उपयोगिता बढ़ती है। उन्होंने कहा कि फसल अवशेष को जलाने से होने वाली हानियों को दृष्टिगत रखते हुए मा. राष्ट्रीय हरित प्राधिकरण द्वारा फसल अवशेष जलाना दंडनीय अपराध है। उन्होंने कहा कि फसल अवशेषों का उचित प्रबंधन करते हुए लाभ प्राप्त कर किसान लाभान्वित हों । भूमि की उर्वरा शक्ति को बढ़ाते हुए वातावरण को स्वच्छ बनाएं जिससे कि किसान भाई अधिक से अधिक फ़सल उत्पादन प्राप्त करते हुए अपनी आय में वृद्धि कर सकें। उन्होंने फसल अवशेष प्रबंधन हेतु आधुनिक प्रमुख कृषि यंत्र जैसे मल्चर,सुपर सीडर,पैडी स्ट्रॉ आदि का प्रयोग कर फसल अवशेषों का प्रबंध करें।

नहोली में किसानों ने जलाया पयार, लगा जुर्माना

खंड विकास अधिकारी ने निरीक्षण किया, 2,500 जुर्माना लगाया

संवाद सूत्र, सरवनखेड़ा : धान की फसल कटने के बाद किसान अपने खेतों में पयार को न जलाएं इसके लिए उन्हें जागरूक किया जा रहा पर असर नहीं पड़ रहा। शुक्रवार को नहोली गांव में दो किसानों ने पयार जला दिया। सरवनखेड़ा विकासखंड के खंड विकास अधिकारी ने निरीक्षण किया। दोनों किसानों पर 2500-2500 रुपये जुर्माना लगाया गया है।

शुक्रवार को सरवनखेड़ा विकास खंड के खंड विकास अधिकारी वीरेंद्र सिंह पयार जलाने की घटनाओं की रोकथाम करने के लिए नहोली गांव पहुंचे। वहां पर गांव के किसान रामगणेश तिवारी व हरिओम तिवारी के खेतों में धान की फसल कटने के बाद पयार जलाया गया था। पंचायत सचिव सचिन रस्तोगी व लेखपाल पहुंचे पर जानकारी ली कि आखिर किसका खेत है। इसके बाद दोनों किसानों का पता चल सका। खंड विकास अधिकारी वीरेंद्र सिंह ने बताया कि किसान पयार न जलाकर इसे गोशाला में दान कर सकते हैं। इससे मवेशियों को चारा मिल सकेगा।

प्रधान [illegible] पयार जलाने की सूचना [illegible] खेत [illegible]

खेत का निरीक्षण करते बीडीओ वीरेंद्र सिंह (दाएं) • स्वयं

नष्ट हो जाते हैं, जिससे उर्वरा शक्ति प्रभावित होती है। इसके साथ ही यह पर्यावरण के लिए भी घातक है। यह बात एसडीएम नोलिमा यादव ने बैठक के दौरान प्रधान व चौकीदारों को निर्देशित करते हुए कही। थाना परिसर में आयोजित बैठक के दौरान एसडीएम नोलिमा यादव ने कहा कि किसान खेत में पयार जला रहे हैं, जिससे पर्यावरण दूषित हो रहा है। इसके साथ ही खेत की उर्वरा शक्ति भी घट रही है। शासन की ओर से पयार न जलाने को लेकर कड़े निर्देश हैं। प्रधान के साथ ही चौकीदार किसानों को शासन के निर्देशों के बारे में भी बताएं, जिससे इस पर रोक लगाई जा सके। वहीं यदि कोई किसान पयार जलाता है तो इसकी सूचना थाने में दें, जिससे उन पर कार्रवाई की जा सके। थाना प्रभारी जनार्दन प्रताप सिंह ने प्रधानों एवं चौकीदारों को बताया कि सर्दी के मौसम में चोरी की घटनाएं बढ़ जाती हैं। चौकीदार सूचनाओं की कड़ी बने और संदिग्ध व्यक्तियों के बारे में बताएं। जुआ के लती लोग भी चोरी की घटनाओं को अंजाम देते हैं। इस अवसर पर कस्बा इंचार्ज उम्मेद [illegible] चौहान [illegible]

पयार को खाद बनाएं, मिट्टी की बढ़ेगी उर्वरा शक्ति

संवाद सूत्र, सरवनखेड़ा : पयार को जलाने के बजाय खाद बनाकर खेत में ही प्रयोग करें, इससे मिट्टी की उर्वरा शक्ति बढ़ेगी। यह सलाह चंद्रशेखर आजाद कृषि एवं प्रौद्योगिकी विश्वविद्यालय कानपुर के अधीन संचालित कृषि विज्ञान केंद्र दलीप नगर के मृदा विज्ञानी डा. खलील खान ने किसानों को दी है।

उन्होंने अपील कर कहा कि अपने खेतों में धान की फसल के अवशेषों (पयार) आदि को न जलाएं क्योंकि फसलों के अवशेषों को जलाने में उनके जड़, तना, पत्तियां आदि के पोषक तत्व नष्ट हो जाते हैं। फसल अवशेषों को जलाने से मृदा के तापमान में वृद्धि हो जाती है। जिसके कारण मृदा के भौतिक, रासायनिक एवं जैविक दशा पर विपरीत असर पड़ता है।

मृदा में उपस्थित सूक्ष्म जीवाणु नष्ट हो जाते हैं जिसके कारण मृदा में उपस्थित जीवांश अच्छी प्रकार से सड़ नहीं पाते जिससे पौधे पोषक तत्व प्राप्त नहीं कर पाते हैं। परिणाम स्वरूप फसल उत्पादन में गिरावट आती है इसके अतिरिक्त वातावरण के साथ-साथ पशुओं के चारे के लिए भी व्यवस्था करने हेतु समस्या आती है। उन्होंने कहा कि फसल अवशेषों [illegible]

बनी रहती है वायु प्रदूषण से अस्थमा और एलर्जी जैसी कई प्रकार की घातक बीमारियों को बढ़ावा मिलता है एवं दुर्घटनाएं होने की संभावनाएं बनी रहती हैं उन्होंने यह भी बताया कि किसान भाई फसल अवशेषों का उचित प्रबंधन कर कंपोस्ट या वर्मी कंपोस्ट खाद बनाकर प्रयोग करें। इससे खेत की उर्वरा शक्ति के साथ ही भूमि में लाभदायक जीवाणु की संख्या में भी वृद्धि होगी।

उन्होंने कहा कि फसल अवशेषों का उचित प्रबंधन करते हुए लाभ प्राप्त कर किसान लाभान्वित हों। भूमि की उर्वरा शक्ति को बढ़ाते हुए वातावरण को स्वच्छ बनाएं जिससे कि किसान अधिक से अधिक फसल उत्पादन प्राप्त करते हुए अपनी आय में वृद्धि कर सकें।

उन्होंने फसल अवशेष प्रबंधन हेतु आधुनिक प्रमुख कृषि यंत्र जैसे मल्चर, सुपर सीडर, पैडी स्ट्रा आदि का प्रयोग कर फसल अवशेषों का प्रबंध करने की बात कही।

दैनिक जागरण कानपुर दे.18/11/2023

WORLD खबर EXPRESS

WORLD खबर एक्सप्रेस

शुक्रवार

17 नवंबर, 2023

अंक - 98

पराली जलाएं नहीं बल्कि उसकी खाद बना मिट्टी की उर्वरा शक्ति बढ़ाएंः डा. खलील खान

कानपुर। चंद्रशेखर आजाद कृषि एवं प्रौद्योगिकी विश्वविद्यालय कानपुर के अधीन संचालित कृषि विज्ञान केंद्र दलीप नगर के मृदा वैज्ञानिक डॉक्टर खलील खान ने जनपद के समस्त किसान भाइयों से अपील की है कि वे अपने खेतों में धान की फसल के अवशेषों (पराली) आदि को न जलाएं क्योंकि फसलों के अवशेषों को जलाने में उनके जड़, तना,पत्तियां आदि के पोषक तत्व नष्ट हो जाते हैं। मृदा वैज्ञानिक डा.खान ने यह भी बताया कि फसल अवशेषों को जलाने से मृदा के तापमान में वृद्धि हो जाती है। जिसके कारण मृदा के भौतिक, रासायनिक एवं जैविक दशा पर विपरीत असर पड़ता है।मृदा में उपस्थित सूचम जीवाणु नष्ट हो जाते हैं जिसके कारण मृदा में उपस्थित जीवांश अच्छी प्रकार से सड़ नहीं पाते जिससे पौधे पोषक तत्व प्राप्त नहीं कर पाते हैं।परिणाम स्वरूप फसल उत्पादन में गिरावट आती है इसके अतिरिक्त वातावरण के साथ-साथ पशुओं के चारे के लिए भी व्यवस्था करने हेतु समस्या आती है उन्होंने कहा कि फसल अवशेषों में आग लगाने से अन्य फसलों तथा घरों में भी आग लगने की संभावना बनी रहती है वायु प्रदूषण से अस्थमा और एलर्जी जैसी कई प्रकार की घातक बीमारियों को बढ़ावा मिलता है एवं दुर्घटनाएं होने की संभावनाएं बनी रहती हैं उन्होंने यह भी बताया कि किसान भाई फसल अवशेषों का उचित प्रबंधन कर कंपोस्ट या वर्मी कंपोस्ट खाद बनाकर प्रयोग करें। इससे खेत की उर्वरा शक्ति के साथ ही भूमि में लाभदायक जीवाणु की संख्या में भी वृद्धि होगी तथा मृदा के भौतिक एवं रासायनिक संरचना में सुधार होगा जिससे भूमि जल धारण क्षमता एवं वायु संचार में वृद्धि होती है।फसल अवशेषों के प्रबंध करने से खरपतवार कम होते हैं तथा जल वाष्प उत्सर्जन भी कम होता है। जिससे सिंचाई जल की उपयोगिता बढ़ती है। उन्होंने कहा कि फसल अवशेष को जलाने से होने वाली हानियों को दृष्टिगत रखते हुए मा. राष्ट्रीय हरित प्राधिकरण द्वारा फसल अवशेष जलाना दंडनीय अपराध है। उन्होंने कहा कि फसल अवशेषों का उचित प्रबंधन करते हुए लाभ प्राप्त कर किसान लाभान्वित हों ।भूमि की उर्वरा शक्ति को बढ़ाते हुए वातावरण को स्वच्छ बनाएं जिससे कि किसान भाई अधिक से अधिक फ़सल उत्पादन प्राप्त करते हुए अपनी आय में वृद्धि कर सकें। उन्होंने फसल अवशेष प्रबंधन हेतु आधुनिक प्रमुख कृषि यंत्र जैसे मल्चर,सुपर सीडर,पैडी स्ट्रॉ आदि का प्रयोग कर फसल अवशेषों का प्रबंध करें।

अंक-250 कानपुर, शनिवार 18 नवम्बर 2023 पृष्ठ-8

दैनिक

आज का कानपुर

से प्रकाशित लखनऊ, उन्नाव, सीतापुर, लखीमपुर खीरी, हमीरपुर, मौहदा, बादा, फतेहपुर, प्रयागराज, इटावा, कन्नौज, गाजीपुर, कानपुर देहात, सुल्तानपुर, अमेठी, बहराइच में प्रसारित

किसान भाई पराली न जलाएं बल्कि उसकी खाद बना मिट्टी की उर्वरा शक्ति बढ़ाएं-डॉ० खलील खान

आज का कानपुर

कानपुर । चंद्रशेखर आजाद कृषि एवं प्रौद्योगिकी विश्वविद्यालय कानपुर के अधीन संचालित कृषि विज्ञान केंद्र दलीप नगर के मृदा वैज्ञानिक डॉक्टर खलील खान ने जनपद के समस्त किसान भाइयों से अपील की है कि वे अपने खेतों में धान की फसल के अवशेषों (पराली) आदि को न जलाएं क्योंकि फसलों के अवशेषों को जलाने में उनके जड़, तना,पत्तियां आदि के पोषक तत्व नष्ट हो जाते हैं। मृदा वैज्ञानिक डा.खान ने यह भी बताया कि फसल अवशेषों को जलाने से मृदा के तापमान में वृद्धि हो जाती है। जिसके कारण मृदा के भौतिक, रासायनिक एवं जैविक दशा पर विपरीत असर पड़ता है।मृदा में उपस्थित सूचम जीवाणु नष्ट हो जाते हैं जिसके कारण मृदा में उपस्थित जीवांश अच्छी प्रकार से सड़ नहीं पाते जिससे पौधे पोषक तत्व प्राप्त नहीं कर पाते हैं।परिणाम स्वरूप फसल उत्पादन में गिरावट आती है इसके अतिरिक्त वातावरण के साथ-साथ पशुओं के चारे के लिए भी व्यवस्था करने हेतु समस्या आती है उन्होंने कहा कि फसल अवशेषों में आग लगाने से अन्य फसलों तथा घरों में भी आग लगने की संभावना बनी रहती है वायु प्रदूषण से अस्थमा और एलर्जी जैसी कई प्रकार की घातक बीमारियों को बढ़ावा मिलता है एवं दुर्घटनाएं होने की संभावनाएं बनी रहती हैं उन्होंने यह भी बताया कि किसान भाई फसल अवशेषों का उचित प्रबंधन कर कंपोस्ट या वर्मी कंपोस्ट खाद बनाकर प्रयोग करें। इससे खेत की उर्वरा शक्ति के साथ ही भूमि में लाभदायक जीवाणु की संख्या में भी वृद्धि होगी तथा मृदा के भौतिक एवं रासायनिक संरचना में सुधार होगा जिससे भूमि जल धारण क्षमता एवं वायु संचार में वृद्धि होती है।फसल अवशेषों के प्रबंध करने से खरपतवार कम होते हैं तथा जल वाष्प उत्सर्जन भी कम होता है। जिससे सिंचाई जल की उपयोगिता बढ़ती है। उन्होंने कहा कि फसल अवशेष को जलाने से होने वाली हानियों को दृष्टिगत रखते हुए मा. राष्ट्रीय हरित प्राधिकरण द्वारा फसल अवशेष जलाना दंडनीय अपराध है। उन्होंने कहा कि फसल अवशेषों का उचित प्रबंधन करते हुए लाभ प्राप्त कर किसान लाभान्वित हों ।भूमि की उर्वरा शक्ति को बढ़ाते हुए वातावरण को स्वच्छ बनाएं जिससे कि किसान भाई अधिक से अधिक फ़सल उत्पादन प्राप्त करते हुए अपनी आय में वृद्धि कर सकें। उन्होंने फसल अवशेष प्रबंधन हेतु आधुनिक प्रमुख कृषि यंत्र जैसे मल्चर,सुपर सीडर,पैडी स्ट्रॉ आदि का प्रयोग कर फसल अवशेषों का प्रबंध करें।

हिन्दी दैनिक

समाज का साथी

कानपुर नगर से प्रकाशित

5 कानपुर, शनिवार 18 नवंबर-2023 पृष्ठ -8 मूल्य : 2.00 रु. कंगना

पराली न जलाएं पर डॉ. खलील की किसानों से अपील

कानपुर। सीएसए के अधीन संचालित कृषि विज्ञान केंद्र दलीप नगर क मृदा वैज्ञानिक डॉक्टर खलील खान ने जनपद के समस्त किसान भाइयों से अपील की है कि वे अपने खेतों में धान की फसल के अवशेषों (पराली) आदि को न जलाएं क्योंकि फसलों के अवशेषों को जलाने में उनके जड़, तना,पत्तियां आदि के पोषक तत्व नष्ट हो जाते हैं। मृदा अवैज्ञानिक डा.खान ने यह भी बताया कि फसल अवशेषों को जलाने से मृदा के तापमान में वृद्धि हो जाती है। जिसके कारण मृदा के भौतिक, रासायनिक एवं जैविक दशा पर विपरीत असर पड़ता है।मृदा में उपस्थित सूचम जीवाणु नष्ट हो जाते हैं जिसके कारण मृदा में उपस्थित जीवांश अच्छी प्रकार से सड़ नहीं पाते जिससे पौधे पोषक तत्व प्राप्त नहीं कर पाते हैं।परिणाम स्वरूप फसल उत्पादन में गिरावट आती है इसके अतिरिक्त वातावरण के साथ-साथ पशुओं के चारे के लिए भी व्यवस्था करने हेतु समस्या आती है उन्होंने कहा कि फसल अवशेषों में आग लगाने से अन्य फसलों तथा घरों में भी आग लगने की संभावना बनी रहती है वायु प्रदूषण से अस्थमा और एलर्जी जैसी कई प्रकार की घातक बीमारियों को बढ़ावा मिलता है एवं दुर्घटनाएं होने की संभावनाएं बनी रहती हैं उन्होंने यह भी बताया कि किसान भाई फसल अवशेषों का उचित प्रबंधन कर कंपोस्ट या वर्मी कंपोस्ट खाद बनाकर प्रयोग करें।

(हिन्दी दैनिक)

R.N.I. No. Utthin/2018/76731

(गांव देहात की खबर, शहर पर भी नजर)

दि ग्राम टुडे

उत्तराखण्ड, उत्तर प्रदेश एवं मध्य प्रदेश से एक साथ प्रसारित

वर्ष : 04 अंक : 311 देहरादून, शनिवार, 18 नवम्बर 2023 मूल्य : 2 रुपये पृष्ठ - 8

शुक्रवार को एक महत्वपूर्ण बैठक में मत्स्यमंत्री ने कहा

किसान भाई पराली न जलाएं बल्कि उसकी खाद बनाकर मिट्टी की उर्वरा शक्ति बढ़ाएं.. डॉ खलील

दि ग्राम टुडे, कानपुर।
(संजय मौर्य)

चंद्रशेखर आजाद कृषि एवं प्रौद्योगिकी विश्वविद्यालय कानपुर के अधीन संचालित कृषि विज्ञान केंद्र दलीप नगर के मृदा वैज्ञानिक डॉक्टर खलील खान ने जनपद के समस्त किसान भाइयों से अपील की है कि वे अपने खेतों में धान की फसल के अवशेषों (पराली) आदि को न जलाएं क्योंकि फसलों के अवशेषों को जलाने में उनके जड़, तना,पत्तियां आदि के पोषक तत्व नष्ट हो जाते हैं। मृदा वैज्ञानिक डा.खान ने यह भी बताया कि फसल अवशेषों को जलाने से मृदा के तापमान में वृद्धि हो जाती है। जिसके कारण मृदा के भौतिक, रासायनिक एवं जैविक दशा पर विपरीत असर पड़ता है।मृदा में उपस्थित सूचम जीवाणु नष्ट हो जाते हैं जिसके कारण मृदा में उपस्थित जीवांश अच्छी प्रकार से सड़ नहीं पाते जिससे पौधे पोषक तत्व प्राप्त नहीं कर पाते हैं।परिणाम स्वरूप फसल उत्पादन में गिरावट आती है इसके अतिरिक्त वातावरण के साथ-साथ पशुओं के चारे के लिए भी व्यवस्था करने हेतु समस्या आती है उन्होंने कहा कि फसल अवशेषों में आग लगाने से अन्य फसलों तथा घरों में भी आग लगने की संभावना बनी रहती है वायु प्रदूषण से अस्थमा और एलर्जी जैसी कई प्रकार की घातक बीमारियों को बढ़ावा मिलता है एवं दुर्घटनाएं होने की संभावनाएं बनी रहती हैं उन्होंने यह भी बताया कि किसान भाई फसल अवशेषों का उचित प्रबंधन कर कंपोस्ट या वर्मी कंपोस्ट खाद बनाकर

प्रयोग करें। इससे खेत की उर्वरा शक्ति के साथ ही भूमि में लाभदायक जीवाणु की संख्या में भी वृद्धि होगी तथा मृदा के भौतिक एवं रासायनिक संरचना में सुधार होगा जिससे भूमि जल धारण क्षमता एवं वायु संचार में वृद्धि होती है।फसल अवशेषों के प्रबंध करने से खरपतवार कम होते हैं तथा जल वाष्प उत्सर्जन भी कम होता है। जिससे सिंचाई जल की उपयोगिता बढ़ती है। उन्होंने कहा कि फसल अवशेष को जलाने से होने वाली हानियों को दृष्टिगत रखते हुए मा. राष्ट्रीय हरित प्राधिकरण द्वारा फसल अवशेष जलाना दंडनीय अपराध है। उन्होंने कहा कि फसल अवशेषों का उचित प्रबंधन करते हुए लाभ प्राप्त कर किसान लाभान्वित हों ।भूमि की उर्वरा शक्ति को बढ़ाते हुए वातावरण को स्वच्छ बनाएं जिससे कि किसान भाई अधिक से अधिक फसल उत्पादन प्राप्त करते हुए अपनी आय में वृद्धि कर सकें। उन्होंने फसल अवशेष प्रबंधन हेतु आधुनिक प्रमुख कृषि यंत्र जैसे मल्चर,सुपर सीडर,पैडी स्ट्रॉ आदि का प्रयोग कर फसल अवशेषों का प्रबंध करें।

फसलों के अवशेषों (पराली) को ना जलाने के लिए किसानों से की गई अपील

जन एक्सप्रेस । कानपुर नगर

चंद्रशेखर आजाद कृषि एवं प्रौद्योगिकी विश्वविद्यालय के अधीन संचालित कृषि विज्ञान केंद्र दलीप नगर के मृदा वैज्ञानिक डॉ.खलील खान ने जनपद के किसानो से अपने खेतों में धान की फसल के अवशेषों (पराली) आदि को न जलाने की अपील की है। उन्होंने बताया कि फसलों के अवशेषों को जलाने में उनके जड़, तना,पत्तियां आदि के पोषक तत्व नष्ट होने के साथ मिट्टी के तापमान में वृद्धि हो जाती है। जिसके कारण मृदा के भौतिक, रासायनिक एवं जैविक दशा पर विपरीत असर पड़ता है।उन्होंने कहा कि फसल

अवशेषों में आग लगाने से अन्य फसलों तथा घरों में भी आग लगने की संभावना बनी रहती है वायु प्रदूषण से अस्थमा और एलर्जी जैसी कई प्रकार की घातक बीमारियों को बढ़ावा मिलता है एवं दुर्घटनाएं होने की संभावनाएं बनी रहती हैं उन्होंने बताया कि किसान फसल अवशेषों का उचित प्रबंधन कर कंपोस्ट या वर्मी कंपोस्ट खाद बनाकर प्रयोग करें। इससे खेत की उर्वरा शक्ति के साथ ही भूमि में लाभदायक जीवाणु की संख्या में भी वृद्धि होगी तथा मृदा के भौतिक एवं रासायनिक संरचना में सुधार होगा जिससे भूमि जल धारण क्षमता एवं वायु संचार में वृद्धि होती है। उन्होंने कहा कि फसल अवशेष को जलाने से होने वाली हानियों के दृष्टिगत राष्ट्रीय हरित प्राधिकरण द्वारा फसल अवशेष जलाना दंडनीय अपराध है। उन्होंने फसल अवशेष प्रबंधन के लिए आधुनिक प्रमुख कृषि यंत्र जैसे मल्चर, सुपर सीडर, पैडी स्ट्रॉ आदि का प्रयोग करने कि बात कही।